

कार्यालय ज्ञाप

यतः उ०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-9/1/मु०मं०/60-3-14-13(7)/14 दिनांक 09.06.2014 के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 धारा-4 के अन्तर्गत बैंक में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण और प्रतिषेध अधिनियम के अनुपालन में बैंक मुख्यालय के पत्रांक: प्रशासन/2021-22/सी-59 दिनांक 07.10.2021 के माध्यम से "आन्तरिक परिवाद समिति" का गठन किया गया था, में प्रमुख सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्रांक: 741/60-3-2023 सी-1723848/23 महिला कल्याण अनुभाग-3 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में गठित "आन्तरिक परिवाद समिति" का बैंक मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाना जाता है :-

क्र०	नाम एवं पदनाम	ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं०	कमेटी में धारित पद
1.	श्रीमती अनुपमा चौबे, सहायक महाप्रबन्धक	anupamachaubey81@gmail.com 8004871913	पीठासीन अधिकारी/ अध्यक्ष
2.	श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव, प्रबन्धक	shailja.manikant04@gmail.com 9555258832	सदस्य/संयोजक
3.	श्रीमती पिकी सिंह, सहायक/कैशियर	singhpinky1910@gmail.com 9473658908	सदस्य
4.	सुश्री विनीता जौहरी, संस्थापक, द शेड फाउन्डेशन	vineetajohry65@gmail.com 9935626802	सदस्य
5.	श्री रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, प्रबन्धक	ratnesh.sriv@gmail.com 9935147497	सदस्य
6.	श्री अनुज कुमार, सहायक प्रबन्धक	kumaranuj671@gmail.com 7652096854	सदस्य

उपरोक्त कमेटी प्राप्त शिकायतों की जाँच कर उसका निस्तारण करेगी तथा अपनी एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी एवं यौन उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव भी अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

(आर०के० कुलश्रेष्ठ)

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०,
मुख्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक-प्रशासन/एफ-59/2023-24/सी-9। दिनांक- 24 अगस्त, 2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को (नाम से) अनुपालनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० समस्त शाखायें, उ०प्र०।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०।
6. कार्यकारी प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० समस्त भुगतान कार्यालय, उ०प्र०।
7. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, आठवों तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रबन्ध निदेशक